संख्या -18/934/63-व0उ0-2016-59(एच)/2016

प्रेषक,

हरिशंकर भट्ट,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2016

विषय:- **समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-259/ह0क0-नियोजन/2016-17 दिनांक 13.05.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "**समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना**" की गाइड लाइन्स एतद्द्वारा निम्नवत प्रख्यापित की जाती है :-

1- **योजना का उद्देश्य**

हथकरघा उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अद्वितीय स्थान रखता है तथा कलात्मक पारम्परिक वस्त्र उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हथकरघा उद्योग से जुडे बुनकरों को अन्य व्यवसाय की ओर पलायन न करने, कम आय एवं असुरक्षित व्यवसाय होने के कारण "**समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना**" का क्रियान्वयन किया जाना अति आवश्यक है। जिससे हथकरघा बुनकरों को सुरक्षा प्रदान हो सके, ताकि वे हथकरघा व्यवसाय में लगे रहें।

यद्यपि वर्तमान में समाजवादी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से संचालित की जा रही है, परन्तु कमजोर तबके के अधिकांश गरीब हथकरघा बुनकर समाजवादी पेंशन योजना के लाभ से वंचित हैं। इसका कारण यह है कि समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, परन्तु शारीरिक रूप से शिथिल/अक्षम एवं गरीब हथकरघा बुनकरों को उनके अनुत्पादक शेष जीवनकाल हेतु राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग की नितान्त आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए "**समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना**" को संचालित किया जायेगा।

2- **योजना का कार्य क्षेत्र**

यह योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के उन समस्त हथकरघा बुनकर परिवारों के लिये संचालित की जायेगी, जो हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में निरन्तर अपना योगदान देते आ रहे हैं।

3- **योजना की रूपरेखा एवं लाभार्थियों को देय धनराशि**

एक परिवार से एक हथकरघा बुनकर जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। योजनान्तर्गत चयनित प्रत्येक पात्र हथकरघा बुनकर को रू0 500/- प्रतिमाह पेंशन देकर लाभान्वित किया जायेगा।

4- **पेंशन वितरण की व्यवस्था**

पेंशन की धनराशि एक वर्ष में दो बार माह-जून एवं माह-जनवरी में

http://shasanadesh.up.nic.in

लाभार्थी हथकरघा बुनकर के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

5- **पात्रता निर्धारण की व्यवस्था**

(अ) समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थी की पात्रता एवं आयु

1. योजनान्तर्गत पेंशन हेतु ऐसे हथकरघा बुनकर/सहायक कर्मी ही पात्र होंगे, जिनकी न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो गयी है, किन्तु अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा अर्थात् चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक इस पेंशन हेतु वे अधिकतम होंगे। हथकरघा बुनकर जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम हो। अपने घर पर हथकरघा बुनकर/सहायक कर्मी का कार्य करने वाले अथवा किसी मास्टर वीवर के यहाँ कार्य करने वाले हथकरघा बुनकर पात्रता की श्रेणी में आयेंगे।

अथवा

2. शारीरिक (फिजीकली) तथा दृष्टि (विसुअली) विकलांग हथकरघा बुनकर होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट होगी, जिसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र देय होगा।

(ब) समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजनान्तर्गत आवेदक की अनर्हता

ऐसे बुनकर योजना का लाभ प्रापत नहीं कर सकेंगे, जो निम्नलिखित में से किसी भी एक श्रेणी के अन्तर्गत आता हो :-

1. अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहा है अथवा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/गैर सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी हो।
2. प्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहा हो।
3. कोई सदस्य सरकारी/गैर सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी हो।
4. परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो अथवा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/गैर सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी हो।
5. बुनकर की वार्षिक आय एक लाख रूपये अथवा उससे अधिक।
6. **<u>परिवार की परिभाषा</u>**- परिवार के मुखिया के साथ रहने वाले उसकी पत्नी/पति, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, भाई, बहन जो परिवार के मुखिया पर आश्रित हों तथा एक ही चूल्हे का बना खाना खाते हों, एक परिवार के अन्तर्गत आयेंगे।

(ब) योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन का वरीयता

योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट के सापेक्ष अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में लाभार्थियों का चयन निम्न वरीयता क्रम के अनुसार किया जायेगा :-

1. वे बुनकर जो हथकरघा पुरस्कार योजना से पुरस्कृत हों।
2. सोसाइटी के सदस्य रहे हों।
3. अधिक आयु वाले बुनकर।

6- **आवेदन प्रक्रिया**

- आवेदक अपने आवेदन पत्र (वॉछित प्रपत्रों सहित) समस्त सम्बन्धित

http://shasanadesh.up.nic.in

(अ) पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया

औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए क्षेत्रीय पर्यवेक्षक/निरीक्षक के माध्यम से अथवा सीधे ही परिक्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

नोट:-

(1) आवेदन-पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट "क"'** में वर्णित है।

(2) आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश (आवेदक हेतु) **परिशिष्ट "ग"** में वर्णित है।

(3) कार्यालय स्तर से अपेक्षित आवेदन-पत्र की प्रविष्टियों को भरने सम्बन्धी निर्देश **परिशिष्ट "घ"** में वर्णित है।

(ब) लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया

- फील्ड स्टाफ द्वारा शत-प्रतिशत आवेदन पत्रों की जॉच एवं स्थलीय सत्यापन किया जायेगा। जॉचोपरान्त उचित पाये जाने पर आवेदन पत्र परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा के माध्यम से संस्तुति सहित **परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी** के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा न्यूनतम 5 प्रतिशत आवेदन पत्रों का रैण्डम बेसिस पर स्थलीय सत्यापन किया जायेगा।
- परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा **परिशिष्ट "ख"** में वर्णित चेक-लिस्ट के अनुसार स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र की पात्रता का अभिलेखीय परीक्षण किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट के सापेक्ष पात्र आवेदकों की अधिक संख्या होने की स्थिति में पात्र आवेदकों की वरीयता सूची बिन्दु-5(स) में उल्लिखित वरीयता क्रम के अनुसार परिक्षेत्र स्तर पर तैयार की जायेगी।
- निर्धारित पात्रता के आधार पर लाभार्थियों के चयन हेतु सम्बन्धित परिक्षेत्रीय आयुक्त उत्तरदायी होंगे। औपचारिक रूप से पात्र हथकरघा बुनकरों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र लिया जायेगा, जिसके साथ फोटोयुक्त बुनकर पहचान-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, वोटर आई0डी0 कार्ड/आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी।

7- **योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों रख-रखाव तथा आनलाइन डाटा फीडिंग**

- परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों से सम्बन्धित विभिन्न विवरणों के अभिलेखीय रख-रखाव हेतु जनपदवार अलग-अलग रजिस्टर तैयार किये जायेंगे। जिसमें प्राप्त आवेदन-पत्रों का पंजीकरण क्रमांक, प्राप्ति का दिनांक, स्वीकृति/निरस्त तथा आवेदक से सम्बन्धित अन्य विवरण अंकित किये जायेंगे।
- रजिस्टर सम्बन्धित समस्त कालमों का स्पष्ट विवरण निदेशालय द्वारा तैयार कर परिक्षेत्रों को प्रेषित किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय की धनराशि से निदेशालय द्वारा एक वेबसाइट का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें आवेदन-पत्रों की प्राप्ति/स्वीकृति सम्बन्धी समस्त आंकडों की आनलाइन डाटा-फीडिंग परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जायेगी तथा आवेदक को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी होगी। योजना के प्रारम्भ में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र प्राप्त किये जायेंगे। बाद में सभी आवश्यक सुविधायें व्यवस्थित कराकर आनलाइन सुविधा प्रदान की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- **परिक्षेत्र स्तरीय चयन कमेटी:-**

(अ) संरचना :-

1. मण्डलायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर आयुक्त के स्तर से नीचे का न हो- **अध्यक्ष**
2. मण्डलीय संयुक्त आयुक्त, उद्योग - **सदस्य**
3. उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग - **सदस्य**
4. उप निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग - **सदस्य**
5. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा - **सदस्य सचिव**

(ब) कार्य एवं दायित्व

- परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत पात्र आवेदकों की वरीयता सूची का परीक्षण कर अनुमोदन प्रदान करना।
- पात्र आवेदकों की संख्या के आधार पर आवश्यक बजट की मांग पर निर्णय देना। आवश्यक बजट की मांग **राज्य स्तरीय कमेटी** को प्रेषित करना।

9- **राज्य स्तरीय कमेटी :-**

(अ) संरचना :-

1. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - **अध्यक्ष**
2. वित्त नियन्त्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - **सदस्य**
3. संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - **सदस्य**
4. योजनाधिकारी, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - **सदस्य**

(ब) कार्य एवं दायित्व :-

- राज्य स्तरीय कमटी द्वारा अनुमोदित लाभार्थियों की सूची योजनाधिकारी (सदस्य सचिव) द्वारा संकलित कर **निदेशालय स्तरीय कमेटी** के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
- पात्र लाभार्थियों की संख्या के सापेक्ष परिक्षेत्रों को बुनकरों के खाते में सीधे भेजने हेतु बजट आवंटन पर अनुमोदन प्रदान करना। यदि लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध बजट के सापेक्ष अधिक है, तो उस स्थिति में बिन्दु-5(स) में वर्णित वरीयता क्रम के प्राविधानानुसार कमेटी द्वारा परिक्षेत्रों को बजट आवंटित किया जायेगा। बुनकरों के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से भेजने हेतु अग्रिम कार्यवाही करायेगी।

10- **वार्षिक सत्यापन**

- योजनान्तर्गत पेंशनधारकों का वर्ष में एक बार सत्यापन कार्य हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनिवार्यत: किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत पेंशनधारकों का 30 प्रतिशत रैण्डम सत्यापन वर्ष में एक बार सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।

11- **प्रशासनिक व्यय**

योजनान्तर्गत विधिक कार्यों हेतु प्रथम वर्ष में कुल बजट का अधिकतम 02 प्रतिशत तथा उसके बाद के वर्षों में अधिकतम 01 प्रतिशत, जिसे विशेष परिस्थिति में वित्त विभाग की सहमति से 02 प्रतिशत तक बढाया जा सकेगा, धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- **क्रियान्वयन की व्यवस्था** — योजना का क्रियान्वयन परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के माध्यम से किया जायेगा। इसके प्रबन्धन आदि के लिये सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। पेंशन की धनराशि की स्वीकृति आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा द्वारा की जायेगी तथा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त की मांग पर पेंशन धनराशि बुनकरों के खाते में सीधे अन्तरित किया जायेगा।

13- **योजना की व्याख्या एवं संशोधन की शक्तियाँ -** — योजना के विभिन्न प्राविधानों एवं व्यवस्थाओं पर व्याख्या की आवश्यकता होने पर शासन के अनुमोदन के उपरान्त **आयुक्त एवं निदेशक (हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग)** द्वारा संशोधन किया जायेगा।

14- **योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था -**

- हथकरघा बुनकर पेंशन योजनान्तर्गत प्रति बुनकर **रू0 500/-** प्रतिमाह की दर से एक वर्ष हेतु प्रति बुनकर **रू0 6000/-** पेंशन देय होगी।
- **प्रथम वर्ष में पेंशन हेतु धनराशि रू0 3000.00 लाख की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है।**
- योजना के आगामी वर्षों में पेंशन योजना में लाभार्थी बुनकरों की संख्या के आधार पर बजट का प्राविधान कराया जायेगा। आवश्यकतानुसार धनराशि की मांग शासन से की जायेगी तथा धनराशि शासन से स्वीकृत करायी जायेगी। उसके बाद धनराशि कोषागार से आहरित कर लाभार्थी बुनकरों के खातों में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।
- उक्त योजना का लाभ प्राविधानित बजट के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा। किसी भी परिस्थिति में पिछले वर्ष की देयताओं को अगले वर्ष अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 934(1)/63-ब0उ0-2016, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को गोपन अनु0-1 के अशासकीय संख्या-4/2/9/2016-सी0एक्स0(1) दिनांक 18 जुलाई, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव/सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0;प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-934(2)/63-व0उ0-2016, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार-पत्रों में एवं अन्य प्रचार माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in